(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार नोयडा में इन सुविधाओं को कब तक उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां। विभाग में नोयडा टेलीफोन को दिल्ली टेलीफोन जिले में सम्मिलित करने के करने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) और (ग) प्रशासनिक कारणों से इसे स्वीकार नहीं किया गया ।

(घ) विभाग के पास निम्नलिखित योजनाएं हैं :—

(1) वर्तमान नोयडा एम ए एक्स–1 एक्सचेंज का 1986–87 के दौरान 600 लाइनों तक विस्तार करना ।

(2) 1987–88 के दौरान ई–10 बी स्वचालित एक्सचेंज की 4000 लाइनों तक क्षमता बढ़ाना ।

(3) नोएडा और दिल्ली के बीच अतिरिक्त जंक्शन के लिए एक 34 एम बी एम डिजिटल माइक्रोवेव प्रणाली स्थापित करना । उपस्कर 1987–88 के दौरान प्राप्त होने की संभावना है ।

चित्रहार के लिए गानों आदि का चयन

1639. **श्री राम चन्द्र विकल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले "चित्रहार" में फिल्मी नृत्य और गानों का चयन करने के क्या मापदण्ड हैं; और

(ख) चित्रहार में भक्ति व देश प्रेम के बहुत कम गानों का चयन किए जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) यह सुनिश्चित किया जाता है कि कार्यक्रम परिवार के साथ देखने योग्य हों ।

(ख) भक्ति एवं देश प्रेम के गीतों को चित्रहार किस्म के कार्यक्रमों में समय-समय पर, विशेषकर धार्मिक अवसरों और स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस, इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवसों पर शामिल किया जाता है । तथापि, विभिन्न रुचियों वाले दर्शकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विवेकपूर्ण मिश्रण किया जाता है ।

दिल्ली में डकैती और राहजनी से जान माल की हुई हानि

1640. **श्री रामचन्द विकल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1985 से 31 अक्तूबर, 1986 की अवधि के दौरान दिल्ली में सशस्त्र डकैतियों तथा राहजनी की घटनाओं के परिणामस्वरूप जान-माल की कितनी हानि हुई है; और

(ख) सरकार ने इन अपराधियों के गिरोहों का सफाया करने तथा दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री यो० चिदाम्बरम) : (क) 1 जनवरी, 1985 से 31 अक्तूबर, 1986 तक की अवधि के दौरान राहजनी और लूटपाट की घटनाओं में 2 जानें गई और लगभग 15 लाख रुपए की सम्पत्ति की हानि हुई । लगभग 8 लाख रुपए मूल्य की सम्पत्ति बरामद कर ली गई ।

(ख) पैदल और चलती फिरती गश्त में बढ़ोत्तरी, होटलों और गैस्ट हाऊसों की गहन जांच और संवेदनशील